

सार्वजनिक सूचना

इकोटेक-11 के ऐसे आबंटी जिन्होंने लीजडीड अभी तक निष्पादित नहीं करायी है, को प्राधिकरण की 110वीं बैठक दिनांक 20.11.2017 में लिये गये निर्णय के क्रम में दिनांक 31.01.2018 तक लीजडीड निष्पादित कराने का निःशुल्क समय विस्तरण इस शर्त के साथ प्रदान किया जाता है कि यदि वे दिनांक 31.01.2018 तक लीजडीड निष्पादित करा लेते हैं तो उन पर लीजडीड निष्पादन की तिथि तक आरोपित लीजडीड विलम्ब शुल्क इस प्रतिबन्ध के साथ स्थगित किया जायेगा कि उनके द्वारा दो वर्ष के अन्दर भूखण्ड का निर्माण/कियाशील करने पर उक्त स्थगित विलम्ब शुल्क को छूट प्रदान की जायेगी। परन्तु यदि इकाई को 2 वर्ष के अन्दर निर्माण/कियाशील नहीं करते हैं तो उक्त स्थगित विलम्ब शुल्क ब्याज सहित इकाई से ली जायेगी। उक्त प्रोत्साहन सुविधा जो आबंटी दिनांक 31.01.2018 तक लीजडीड निष्पादित करायेगें, उन्हीं को प्राप्त होगी। अन्तिम तिथि दिनांक 31.01.2018 तक लीजडीड न करा पाने की स्थिति में भूखण्ड स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

उक्त के अतिरिक्त

ग्रेटर नौएडा प्राधिकरण के औद्योगिक क्षेत्र में स्थित अन्य सैक्टरों (इकोटेक-11 को छोड़कर) के भूखण्ड जिनका आबंटन दिनांक 30.09.2011 से पूर्व का है, के भूखण्डों की लीजडीड निष्पादित कराने हेतु प्राधिकरण बोर्ड की 110वीं बैठक में लिये गये निर्णय के अनुसार निर्धारित विलम्ब शुल्क सहित अधिकतम दिनांक 31.01.2018 तक समय विस्तरण प्रदान किया जाता है। अन्तिम तिथि दिनांक 31.01.2018 तक लीजडीड न करा पाने की स्थिति में भूखण्ड स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी
ग्रेटर नौएडा प्राधिकरण

B

अनिल कुमार शर्मा

उप महाप्रबन्धक (उद्योग)